न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज.
पीठासीन अधिकारी श्री [illegible] यादव (आरएएस)

[illegible]	[illegible]	तारीख फैसला
[illegible]	[illegible]	[illegible]

इस्तगासा

1. [illegible] पुत्र श्री [illegible] आदि [illegible] निवासी [illegible] तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)

——— वादी

बनाम

1. [illegible] पुत्र [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible] आदि [illegible] निवासी ग्राम [illegible] तहसील तिजारा जिला अलवर
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार [illegible] तिजारा जिला अलवर
7. शाखा प्रबन्धक [illegible] शाखा टपूकड़ा जिला अलवर
8. शाखा प्रबन्धक [illegible] शाखा टपूकड़ा जिला अलवर

———: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: निर्णय :-

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल अराजी खसरा नम्बर 52 रकबा 0.63 [illegible] रकबा [illegible] वाके ग्राम [illegible] तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। वादी का 1/3 हिस्सा है शेष [illegible] हाल प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का हिस्सा है। अराजी वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त [illegible] खातेदारी की है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण शामलात में काबिज काश्त है। सहखातेदारान के मध्य कोई [illegible] आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण आये दिन वादी के कब्जे काश्त की अराजी में [illegible] मदाखलत पैदा करते हैं। वादी उक्त विवादित अराजीयात में अपने 1/3 हिस्से का तकासमा कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने का अधिकारी है कि वे संयुक्त [illegible] की आड़ में वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करें। [illegible] नहीं करें। नींव खोदकर कोई निर्माण कार्य नहीं करें। [illegible] व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। दावा के साथ सूची अनुसार दस्तावेज पेश किये।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। तलबी के उपरान्त प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 अनुपस्थित रहे। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी ली जाकर बहस वकील वादी एक तरफा सुनी गई।

वाद में दिनांक 13.08.2019 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तिजारा को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डरी बंटवारा स्कीम तैयार कर कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित करने को आदेशित किया गया। तहसीलदार तिजारा ने जरिये पत्र कमांक राजस्व/2020/6156 दिनांक 22-01-2020 कुर्रे रिपोर्ट मय तरमीशुद्दा नक्शा प्रेषित की प्रस्तुत कुर्रे रिपोर्ट पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने कुर्रे रिपोर्ट अनुसार दावा फाईनल डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। इस प्रकार दावा फाईनल डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादी फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 52 रकबा 0.63 है0, 53 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम नाखनौल तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) का विभाजन निम्न सारणी अनुसार किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड हाल में अमल हो।

<u>सारणी</u>

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
01.	नवाब पुत्र इस्माइल जाति मेव सा0 देह खातेदार	53/1	0.4033	बा0-2
02.	हसनमोहम्मद पुत्र मुनीश राहिन एस.बी.आई. शाखा धारुहेडा 1/2 हि0, नसरूदीन पुत्र दौलतखां 1/8 राहिन आर.जी.बी. टपूकडा, अकबर पुत्र दौलतखां 1/8 राहिन आर.जी.बी. शाखा टपूकडा रहमूदीन पुत्र दौलतखां 1/8 राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा टपूकडा उमरदीन पुत्र दौलतखां 1/8 हि0 जाति मेव सा0 देह खातेदार	52 53/2 किता 2	0.6300 0.1767 0.8067	बा0-2 बा0-2

तरमीम शुद्दा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
181/2017	20-06-2017	12/03/2020

उनवान

01. नवाब पुत्र श्री ईस्माइल जाति मेव निवासी नाखनौल तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: वादी

बनाम

01. हसन मौहम्मद पुत्र मुनीरा
02. नसरुदीन
03. उमरदीन
04. रहमूदीन
05. अकबर पुत्रान दौलत खां जाति मेवान निवासी ग्राम नाखनौल तहसील तिजारा जिला अलवर
06. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा जिला अलवर
07. शाखा प्रबन्धक बी0ए0के0जे0बी0 शाखा टपूकडा जिला अलवर
08. शाखा प्रबन्धक आर0जी0बी0 शाखा टपूकडा जिला अलवर

———:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: पर्चा डिकी ::—

हाल आराजी खसरा नम्बर 52 रकबा 0.63 है0, 53 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम नाखनौल तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) का विभाजन निम्न सारणी अनुसार किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड हाल में अमल हो।

सारणी

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
01.	नवाब पुत्र इसमाइल जाति मेव सा0 देह खातेदार	53/1	0.4033	बा0–2
02.	हसनमोहम्मद पुत्र मुनीश राहिन एस.बी.आई. शाखा धारुहेडा 1/2 हि0, नसरुदीन पुत्र दौलतखां 1/8 राहिन आर.जी.बी. टपूकडा, अकबर पुत्र दौलतखां 1/8 राहिन आर.जी.बी. शाखा टपूकडा रहमूदीन पुत्र दौलतखां 1/8 राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा टपूकडा उमरदीन पुत्र दौलतखां 1/8 हि0 जाति मेव सा0 देह खातेदार	52 53/2 किता 2	0.6300 0.1767 0.8067	बा0–2 बा0–2

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)